संख्या- 363 /1-10-2016-33(24)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूखे से प्रभावित परिवारों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-599/मु0रा0आ0-03(13)/दैवी आपदा/2015-16, दिनांक 17.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-1 (डी) में आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के लिये मानक एवं दरों के अनुसार सूखे से प्रभावित परिवारों को जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 2,50,00,000/- **(रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)** आपके के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेत्तर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के लिये ही किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं यथा- सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि टी0आर0-27 से धनराशि आहरित की गयी है तो उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अनुपालन अवश्य किया जाये।

5- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित मानक मदों एवं दरों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय । राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

10- उक्त धन [illegible] उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधी[illegible] प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11- व्यय की [illegible] राशि महालेखाकार कार्यालय से सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में म[illegible] कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- 363 (1)/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्र[illegible]/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित [illegible]युक्त।
3- आयुक्त [illegible], राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचि[illegible] सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त [illegible]खाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित [illegible]कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
7- वरिष्ठ तक[illegible]देशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट [illegible]//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- वित्त व्यय [illegible] अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव ।